भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 889
दिनांक 21 नवंबर, 2016

अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ समुदायों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

889. डॉ॰ उदित राजः
श्री के॰एन॰ रामचन्द्रनः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नए पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने हेतु कोई दिशा निर्देश बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) अब तक अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लोगों को ओएमसी/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विद्यमान कितने पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैंऔर सरकार/ओएमसी द्वारा आरक्षण नीति अनुसार उक्त श्रेणी का कोटा भरने के लिए क्या प्रयास किए गए है और उक्त आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान ओएमसी द्वारा अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लोगों को पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसी के आवंटन के मामले लंबित हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक उक्त श्रेणी के लोगों को आवंटित कितने पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियां निरस्त किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;और
(ङ) क्या राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा के बीच अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लोगों को ऐसे पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आबंटन के मामले में स्पष्ट अनिच्छा प्रतीत हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डीजरशिपों के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों में विशेष व्यवस्था के रूप में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन में एससीज/एसटीज के लिए 22.5**%** के आरक्षण के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है। अ.जा./अ.ज.जा. और ओबीसी और सामान्य क्षेणियों के भीतर रक्षा कार्मिकों**,** अर्ध सैनिक कार्मिकों/केन्द्रीय /राज्य सरकार और केन्द्रीय /राज्य पीएसयू कर्मचारियों**,** शारीरिक रूप में दिव्यांग व्यक्तियों**,** उत्कृष्ट खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानियों को (अरूणाचल प्रदेश**,** मेघालय**,** नगालैंड और मिजोरम को छोड़कर) नीचे दिए अनुसार आरक्षण है :

श्रेणी	अ.जा./अ.ज.जा.	ओबीसी	सामान्य	योग
संयुक्त श्रेणी 1 (सीसी1) इसमें शामिल: **(i)** रक्षा कार्मिक और **(ii)** अर्धसैनिक कार्मिक/केन्द्र/राज्य सरकार और पीएसयू कर्मचारी	**2%**	**2%**	**4%**	**8%**
संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) इसमें शामिल: **(i)** शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पीएच) **(ii)** उत्कृष्ट खिलाड़ी ओएसपी) और) **(iii)** स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	**1%**	**1%**	**2%**	**4%**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	**19.50%**			**19.50%**
ओबीसी		**24%**		**24%**
सामान्य			**44.50%**	**44.50%**
योग	**22.50%**	**27%**	**50.50%**	**100%**

□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□:-

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी को प्रदान किए जाने वाले नियमित तथा ग्रामीण आरओ डीलरशिपों का प्रतिशत	'सामान्य' श्रेणी को प्रदान किया जाने वाला शेष%
अरुणाचल प्रदेश	**70**	**30**
मेघालय	**80**	**20**
नगालैंड	**80**	**20**
मिजोरम	**90**	**10**

(ख) से (ड.): 01.10.2016 की स्थिति के अनुसार, एससीज/एसटीज श्रेणियों के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की राज्य/ यूटी वार मौजूदा संस्था अनुलग्नक-**I** में दी गई है और 01.11.2016 को स्थिति के अनुसार एससीज/ एसटीज श्रेणी के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या अनुलग्नक-**II** में दी गई हैं।

01.11.2016 की स्थिति के अनुसार, एससी/एसटी श्रेणी के तहत आरओ /एलपीजी चलाने के लिए लंबित एलओआईज की राज्य/यूटी वार संख्या अनुलग्नक-**III** और अनुलग्नक-**IV** में दी गई है।

आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को पेट्रोल पंपो/एलपीजी एजेंसियों के आबंटन में कोटा भरने के लिए सरकार/ओएमसीज द्वारा किए गए प्रयास निम्नवत है :

खुदरा बिक्री केन्द्र -

संग्रह निधि योजना के तहत एससी/एसटी और अन्य पात्र उम्मीदवारों के लंबित एलओआई धारकों को प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से अगले 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31.3.2018 तक अध्ययन पांच वर्ष की अवधि के लिए जो भी बाद में हो, एमओपीएनजी द्वारा समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि वे देश में कहीं भी अपनी पंसद के स्थान पर राज्य/बाजार की श्रेणी का ध्यान रखे बिना भूमि की व्यवस्था कर सकें बशर्ते कि प्रस्तावित भूमि एमओपीएनजी द्वारा स्वीकृत तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता मानदंडों को पूरा करती हो। इसके अतिरिक्त, एससीज/एसटीज सहित लंबित एलओआई धारकों की कुछ श्रेणियों के लिए अस्थायी कोको के वंचन की नीति भी विधमान है। इसके अतिरिक्त, एमओपीएनजी ने सभी राज्यों /यूटीज के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि वे विशेषता एससीज/एसटीज श्रेणियों के लिए ईंधन की खुदरा बिक्री हेतु उपयुक्त भू-खंड उपलब्ध कराएं ताकि वे एससीज/एसटीज श्रेणियों के आंबटियों को तरजीही तौर पर आबंटित किए जा सकें जिससे राज्यों/यूटीज के सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

एलपीजी -

(i) सभी पात्र व्यक्तियों को देश में अपनी पंसद के किसी भी स्थान पर राज्य/बाजार की श्रेणी का ध्यान रखे बिना, भूमि/गोदाम की व्यवस्था करने के लिए एक बारगी विकल्प दिया जाता है, बशर्ते प्रस्तावित भूमि तकनीकी, वाणिज्यिक व्यवहार्यता मानदंडों को पूरा करती हो। एलओआईज के धारक/सूचीबद्ध उम्मीदवार भूमि/गोदाम पर कोई खर्च करने से पहले ओएमसी की पूर्व लिखित स्वीकृति लेंगे।

(ii) जहां एलओआई का अन्य राज्य में स्थल परिवर्तन हो, तो स्थल को उस राज्य के रोस्टर में समायोजित किया जाएगा।

(iii) जो उम्मीदवार एक वर्ष के अवधि के भीतर इस विकल्प का उपयोग नहीं कर संकेगे, उनके एलओ आइज/सूची रद्द कर दी जाएगी।

(iv) मौजूदा एलओआइज/सूची के स्थलों को नए सिरे से रोस्टर बद्ध किया जाएगा और वर्तमान चयन दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापित किया जाएगा।

ओएमसीज चालू बिक्री केन्द्रों, वंचित कोकोज और जारी किए गए एलओआईज के आधार पर एससी/एसटी के लिए बैकलॉग तैयार करती हैं। इन स्थलों की संख्या का नए दिशा-निर्देश के अनुसार बैकलॉग रोस्टर के रूप में पहले विज्ञापन दिया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के तहत (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम को छोड़ कर सभी राज्यों में) प्रत्येक राज्य के लिए उद्योग आधार पर, आरओ डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए डीलर के नए चयन दिशा-निर्देशों में यथा परिकाल्पित 200 बिन्दुओं का नया रोस्टर तैयार किया जाता है ताकि एमओपीएनजी द्वारा यथा विचारित आरक्षण की प्रतिशतता प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

अनुलग्नक-I

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को पेट्रोल पंप के आबंटन के संबंध में डा0 उदित राज और श्री के.एन. रामचन्द्रन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 889 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.10.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित मौजूदा पेट्रोल पंपों की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश			
		आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	आंध्र प्रदेश	141	86	133
2	अरुणाचल प्रदेश	40	6	0
3	असम	68	21	12
4	बिहार	93	42	57
5	छत्तीसगढ़	59	26	34
6	दिल्ली	20	6	4
7	गोवा	0	1	5
8	गुजरात	118	51	80
9	हरियाणा	89	40	63
10	हिमाचल प्रदेश	32	6	22
1 1	जम्मू-कश्मीर	7	8	22
12	झारखंड	48	21	30
13	कर्नाटक	143	71	156
14	केरल	100	64	75
15	मध्य प्रदेश	87	78	88
16	महाराष्ट्र	159	147	134
17	मणिपुर	20	2	0
18	मेघालय	75	28	9
19	मिजोरम	19	1	3
20	नागालैंड	27	5	3
21	ओडिशा	106	41	37
22	पंजाब	180	82	141
23	राजस्थान	183	91	128
24	सिक्किम	4	1	1
25	तमिलनाडु	214	110	131
26	तेलंगाना	120	62	79
27	त्रिपुरा	6	1	0
28	उत्तर प्रदेश	343	138	165
29	उत्तराखंड	14	15	18
30	पश्चिम बंगाल	137	57	65
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान एवं निकोबार	2	0	0
2	चंडीगढ़	3	1	1
3	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	2
4	दमन और दीव	1	1	0

5	लक्षद्वीप	0	0	0
6	पांडिचेरी	10	3	5
	योग	**2669**	**1314**	**1703**

अनुलग्नक -II

अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति को पेट्रोल पंप के आबंटन के संबंध में डा0 उदित राज और श्री के.एन. रामचन्द्रन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 889 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.11.2016 की स्थिति के अनुसार अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल	
		अनूसूचित जाति	अनूसूचित जनजाति	अनूसूचित जाति	अनूसूचित जनजाति	अनूसूचित जाति	अनूसूचित जनजाति
1	आंध्र प्रदेश	64	13	30	7	37	1 1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	35	0	0	0	0
3	असम	26	46	6	4	2	6
4	बिहार	109	6	51	2	37	0
5	छत्तीसगढ़	19	27	6	10	1 1	24
6	दिल्ली	27	0	16	0	0	0
7	गोवा	1	0	2	0	7	0
8	गुजरात	34	38	10	18	12	19
9	हरियाणा	40	0	36	0	16	0
10	हिमाचल प्रदेश	12	2	1	0	2	2
1 1	जम्मू-कश्मीर	5	4	1	1	8	2
12	झारखंड	17	25	6	9	1 1	12
13	कर्नाटक	65	13	42	8	43	10
14	केरल	40	4	31	4	23	2
15	मध्य प्रदेश	60	48	21	27	28	26
16	महाराष्ट्र	42	44	62	45	65	42
17	मणिपुर	0	23	0	0	0	0
18	मेघालय	0	25	0	4	0	0
19	मिजोरम	0	39	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	35	0	3	0	1
21	ओडिशा	18	21	16	10	17	16
22	पंजाब	67	0	38	0	31	0
23	राजस्थान	57	42	33	18	42	24
24	सिक्किम	0	2	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	119	3	73	2	49	4
26	तेलंगाना	42	9	29	1 1	25	16
27	त्रिपुरा	5	1 1	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	304	0	167	1	120	0
29	उत्तरांचल	13	2	1 1	1	2	1

30	पश्चिम बंगाल	88	19	31	7	41	8
	केन्द्र शासित प्रदेश						
1	अंडमान एवं निकोबार	0	1	0	0	0	0
2	चंडीगढ़	2	0	0	0	2	0
3	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	1	0
4	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
5	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
6	पांडिचेरी	2	0	1	0	2	0
	योग	**1278**	**537**	**720**	**192**	**634**	**226**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को पेट्रोल पंप के आबंटन के संबंध में डा0 उदित राज और श्री के.एन. रामचन्द्रन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 889 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.11.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित आरो को चालू करने के लिए लंबित एलओआईज के ब्यौरे ।

	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	आंध्र प्रदेश	42	21	23
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	13	10	1
4	बिहार	21	22	21
5	छत्तीसगढ़	1 1	0	9
6	दिल्ली	1	0	0
7	गोवा	0	9	3
8	गुजरात	38	41	36
9	हरियाणा	41	25	49
10	हिमाचल प्रदेश	9	1	3
1 1	जम्मू-कश्मीर	15	7	8
12	झारखंड	17	6	1 1
13	कर्नाटक	61	22	22
14	केरल	33	5	9
15	मध्य प्रदेश	65	66	17
16	महाराष्ट्र	78	83	69
17	मणिपुर	0	0	0
18	मेघालय	4	0	3
19	मिजोरम	3	2	0
20	नागालैंड	2	0	0
21	ओडिशा	35	7	15
22	पंजाब	28	18	16
23	राजस्थान	71	37	36
24	सिक्किम	1	2	0
25	तमिलनाडु	43	26	22
26	तेलंगाना	41	7	22
27	त्रिपुरा	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	56	17	36
29	उत्तराखंड	17	1	7
30	पश्चिम बंगाल	13	15	5
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
2	चंडीगढ़	0	16	0
3	दादरा एवं नगर हवेली	1	0	0
4	दमन और दीव	0	0	1

5	लक्षद्वीप	0	0	0
6	पांडिचेरी	5	0	2
	योग	**765**	**466**	**446**

अनुलग्नक -**IV**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पेट्रोल पंप के आबंटन के संबंध में डा0 उदित राज और श्री के.एन. रामचन्द्रन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 889 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.11.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए लंबित एलओआईज के ब्यौरे ।

	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	आंध्र प्रदेश	6	2	4
2	अरुणाचल प्रदेश	7	0	0
3	असम	7	1	1
4	बिहार	4	3	0
5	छत्तीसगढ़	4	2	0
6	दिल्ली	0	1	0
7	गोवा	0	0	1
8	गुजरात	6	3	2
9	हरियाणा	8	4	6
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
1 1	जम्मू-कश्मीर	0	0	4
12	झारखंड	0	1	1
13	कर्नाटक	10	5	2
14	केरल	3	3	3
15	मध्य प्रदेश	5	1	2
16	महाराष्ट्र	12	7	17
17	मणिपुर	0	0	0
18	मेघालय	1	0	0
19	मिजोरम	3	0	0
20	नागालैंड	3	0	0
21	ओडिशा	3	5	2
22	पंजाब	7	1	1
23	राजस्थान	10	8	3
24	सिक्किम	0	0	0
25	तमिलनाडु	17	9	5
26	तेलंगाना	2	2	3
27	त्रिपुरा	1	0	0
28	उत्तर प्रदेश	31	6	9
29	उत्तराखंड	0	0	0
30	पश्चिम बंगाल	16	1 1	15
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
2	चंडीगढ़	1	0	0
3	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
4	दमन और दीव	1	0	0
5	लक्षद्वीप	0	0	0

6	पांडिचेरी	1	0	1
	योग	**169**	**75**	**82**